इजारी बनाम प्रभु

न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

विशेष विवरण/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	[illegible]-5-18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल....मनोहरपुरा मे दि. 18.5.18 को मे पेश हो।	
	18-05-18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा मे पेश हुई। वादी व प्रतिवादी स्वयं उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा ने की है। वादी एवं प्रतिवादी को वादपत्र पर सुना गया। उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उभयपक्षों ने पत्रावली मे निर्णय के लिए निवेदन किया। कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा मे मौके पर ही तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O22R4 CPC स्वीकार किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वादी व प्रतिवादी को वादपत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जानकारी लेने तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1, 2 व 2/253 कुल रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम मनोहरपुरा तह. बस्सी जयपुर के सम्बन्ध वादी ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक मानते हुए खातेदारी की घोषणा का वाद पेश किया है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गोमा व सुरवा की स्वअर्जित सम्पत्ति है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से सुरवा ने अपने हिस्से की भूमि की वसीयत प्रभु के पक्ष मे की है तथा गोमा का हिस्सा प्रभु को विरासत मे प्राप्त हुआ है। उक्त विवेचन	प्रभु सीताराम मीना शकुन्तला सरपंच शकुन्तला देवी मीना ग्राम पंचायत मनोहरपुरा पं.स. बस्सी (जयपुर)

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी [illegible] सं. 1 के पूर्वज गोमा व सुखा की [illegible] सम्पत्ति होने एवं उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 [illegible] वसीयत व विरासत मे प्राप्त होने से उक्त वादग्रस्त भूमि मे वादी का कोई हक व अधिकार नही होने से वादी को किसी प्रकार की रिलिफ दिया जाना उचित नही समझते [illegible] वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। आज दिनांक 18.05.2018 को यह नि[illegible] न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा [illegible] मजमे आम मे सुनाया गया। [signature] 18.5.18

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. हजारी लाल पुत्र स्व. लादू जाति मीणा निवासी ग्राम भाजुपूरा तह. बस्सी जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1 धापू देवी बेवा स्व. हजारीलाल
1/2 चिरंजीलाल पुत्र स्व. हजारीलाल (फोत)
1/2/1 कालू पुत्र चिरंजीलाल
1/2/2 पूरण पुत्र चिरंजीलाल
1/2/3 काली पत्नि चिरंजीलाल निवासी ग्राम भाजूपुरा तह. बस्सी।
1/3 शांति देवी पत्नि पप्पू पुत्री हजारीलाल जाति मीणा
1/4 मीरा पत्नि ओमप्रकाश पुत्री हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कोटापट्टी तह. व जिला दौसा।
1/5 सीताराम
1/6 बनवारी
1/7 बाबूलाल पुत्रान स्व. हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भाजूपुरा तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी

1. प्रभु दत्तक पुत्र स्व. गोमा जाति मीणा निवासी मनोहरपुरा तह. बस्सी।
2. श्योकरण पुत्र प्रताप जाति मीणा(नाम हजफ)
3. हनुमान सहाय
4. नेहनूराम
5. मोहनलाल पुत्रान श्योकरण जाति मीणा निवासी ग्राम टीलावाला तह. सांगानेर जिला जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।

दावा विभाजन, कब्जा व दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर 238/16

निर्णय दिनांक 18.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1, 2 व 2/253 कुल रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम मनोहरपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादी ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक मानते हुये खातेदारी की घोषणा का वाद पेश किया है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गोमा व सुखा की स्वअर्जित संपति है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से सुखा ने अपने हिस्से की भूमि की वसीयत प्रभु के पक्ष में की है तथा गोमा का हिस्सा प्रभु को विरासत में प्राप्त हुआ है। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पुर्वज गोमा व सुखा की स्वअर्जित संपति होने एवं उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 को वसीयत व विरासत में प्राप्त होने से उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादी को किसी प्रकार की रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हे। वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरुप नहीं होने से खारिज किया जाता है। ....निजी................. मुबलिक....................बाबत...खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें।

सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त........................
ओहदा..............................

सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी ,जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बब त इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी